भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा

23.07.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 666 का उत्तर

कन्फर्म टिकट सुलभ होना

666. श्री आनंद भदौरिया:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आम लोगों को वंदे भारत को छोड़कर अन्य ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाता है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछले 2 से 3 वर्षों में पूरे रेलवे प्रणाली में दलाल सक्रिय हो गए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान जोन-वार कितने दलालों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया; और

(ङ) देश के आम लोगों को रेलवे टिकट आसानी से उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ) भारतीय रेल में टिकट ऑनलाइन या आरक्षण काउंटरों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुक किए जा सकते हैं। शुरुआत में पुष्टिशुदा टिकट जारी किए जाते हैं, उसके बाद रद्दकरण के विरुद्ध आरक्षण (आरएसी)/प्रतीक्षा सूची टिकट जारी किए जाते हैं।

आरएसी/प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों की स्थिति, उनसे पहले बुक किए गए टिकटों के रद्द होने के कारण उपलब्ध होने वाले खाली स्थान तथा प्रथम आरक्षण चार्ट तैयार होने के समय अप्रयुक्त कोटा जारी होने के आधार पर स्वतः ही अद्यतन हो जाती है।

इसके अलावा, आरक्षण की मांग का स्वरूप पूरे वर्ष एक समान नहीं रहता है तथा यह मांग कम व्यस्त अवधि तथा व्यस्तम अवधि में अलग-अलग रहती है। लोकप्रिय मार्गों और सुविधाजनक समय पर चलने वाली रेलगाड़ियों में सामान्य तौर पर यात्रियों की ज्यादा भीड़ होती है, बहरहाल, आमतौर पर अन्य रेलगाड़ियों में स्थान उपलब्ध होता है।

भारतीय रेल पर चलने वाली रेलगाड़ियों की प्रतीक्षा सूची की स्थिति की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है और अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए, भारतीय रेल स्पेशल रेलगाड़ियां परिचालित करती है तथा अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने के लिए रेलगाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाती है।

वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 4600 मेल/एक्सप्रेस, पैसेंजर और स्पेशल रेलगाड़ियां दैनिक आधार पर चलाई गईं, जो वित्त वर्ष 2025-26 (मई तक) में उत्तरोत्तर बढ़कर लगभग 5380 हो गई हैं। स्पेशल रेलगाड़ियों की संख्या प्रतिदिन 80 रेलगाड़ियों से लगभग तीन गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 (मई तक) में प्रतिदिन 235 रेलगाड़ियाँ हो गई है।

इसके अलावा, प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को पुष्टिशुदा स्थान उपलब्ध कराने तथा उपलब्ध स्थानों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक रेलगाड़ी समायोजन योजना (एटीएएस) जिसे विकल्प के नाम से जाना जाता है तथा उन्नयन योजना जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।

जहां तक दलालों का प्रश्न है, बेईमान तत्वों द्वारा टिकट देने में गड़बड़ी के मामले समय-समय पर सामने आते रहते हैं। उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, वाणिज्य,

सतर्कता और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा दलालों के खिलाफ नियमित रूप से संयुक्त अभियान चलाए जाते हैं। ये जांच भीड़-भाड़/त्यौहारों के समय में और अधिक बढ़ा दी जाती है। पकड़े गए दलालों पर रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। तदनुसार, 2022 से 2024 की अवधि के दौरान, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने दलालों के विरुद्ध 14778 मामले दर्ज किए हैं और रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत 16615 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

यात्रियों को आरक्षित टिकट प्राप्त करने को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, भारतीय रेल ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की वेबसाइट/इसके ऐप, भारतीय रेलवे के आरक्षण काउंटरों, अधिकृत टिकट एजेंटों आदि के माध्यम से ऑनलाइन और काउंटर टिकट आदि के लिए आरक्षित टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान की है। यात्रियों की सुविधा के लिए इस तरह के उपाय करना एक सतत् और जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

*****